न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तारानगर (चूरू)

पीठासीन अधिकारी श्री राजेन्द्र कुमार (आर.ए.एस.)

मु.न.– 175/2024

1. च्यानणमल पुत्र हजारीसिंह जाति रावणा राजपूत निवासी धीरवास तहसील तारानगर जिला चूरू।
2. बादो देवी पत्नी हजारीसिंह जाति रावणा राजपूत निवासी धीरवास तहसील तारानगर जिला चूरू।
3. भीमसिंह पुत्र हजारीसिंह जाति रावणा राजपूत निवासी धीरवास तहसील तारानगर जिला चूरू।
4. महावीर पुत्र हजारीसिंह जाति रावणा राजपूत निवासी धीरवास तहसील तारानगर जिला चूरू।
5. रामकुमार पुत्र हजारीसिंह जाति रावणा राजपूत निवासी धीरवास तहसील तारानगर जिला चूरू।
6. हुक्मसिंह पुत्र हजारीसिंह जाति रावणा राजपूत निवासी धीरवास तहसील तारानगर जिला चूरू।

– वादीगण –

बनाम

राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार (राजस्व) तारानगर।

– प्रतिवादी –

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवनयू एक्ट व धारा 88 आर.टी.एक्ट.

निर्णय

दिनांक 17.02.2025

वादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना मय शपथ पत्र में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादीगण के नाम कृषि भूमि रोही मौजा धीरवास के खसरा सं. 3108/46 तादादी 0.9484 हैक्ट., खसरा सं. 3113/492 तादादी 0.6828 हैक्ट. कुल तादादी 1.6312 हैक्ट. हैं। जिसमें वादीगण की जाति दरोगा अंकित है जो गलत है, जबकि वादीगण कि जाति रावणा राजपूत सही हैं। जाति में भिन्नता होने के कारण वादीगण को कृषि ऋण, फसल बेचान आदि में काफी परेशानी का सामना करना पडता है। अब वादीगण जमाबन्दी में अपनी जाति दुरुस्त करवाने चाहते है। इसलिए श्रीमानजी के समक्ष वाद पत्र पेश कर रहे है। अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन है कृषि भूमि रोही मौजा धीरवास के खसरा सं. 3108/46 तादादी 0.9484 हैक्ट., खसरा सं. 3113/492 तादादी 0.6828 हैक्ट. कुल तादादी 1.6312 हैक्ट. में वादीगण कि जाति रावणा राजपूत किये जाने का आदेश प्रदान करें।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर तहसीलदार तारानगर से जांच रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार तारानगर से रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसे शामिल पत्रावली किया गया। तहसीलदार ने अलग से कोई जवाब पेश नहीं किया। वकील वादीगण को दावा साक्ष्य से साबित करने की हिदायत दी गई। साक्ष्य वादी में गवाह महावीर पी.डब्लू. 01 के शपथ पत्र पेश किये गयें। उक्त गवाह के बयान लेखबद्ध किये गये। पी.डब्लू. 01 ने दावा के प्रस्तुत दस्तावेज प्रदर्शित करायें। साक्ष्य प्रतिवादी नहीं करायें गये। संरपच ग्राम पंचायत धीरवास ने वादी की जाति रावणा राजपूत होना पाया गया है।

बहस सुनी गई। वकील वादीगण ने वाद के तथ्यों को दोहराते हुए दावा स्वीकार करने का निवेदन किया। वकील वादीगण के कथनों पर गौर किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रदर्श कराये गये दस्तावेजात आधार कार्ड, राशन कार्ड, पहचान–पत्र से वादीगण कि जाति दस्तावेजीय रावणा राजपूत है।

उपर्युक्त वर्णित विवेचन से यह प्रकरण पुष्ट एवं प्रमाणिक पाया जाता है अतः वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर तहसीलदार तारानगर को आदेश दिया जाता है कि कृषि भूमि रोही ग्राम धीरवास के खसरा सं. 3108/46 तादादी 0.9484 हेक्ट., खसरा सं. 3113/492 तादादी 0.6828 हैक्ट. कुल तादादी 1.6312 हैक्ट. की वर्तमान जमाबन्दी की वर्तमान प्रविष्टि में वादीगण की जाति **दरोगा Delete** कर इसके स्थान पर **रावणा राजपूत** अंकित कर राजस्व रिकॉर्ड में दुरुस्ती कि जावे तथा शेष राजस्व रिकॉर्ड यथावत रखा जाए। न्यायालय का यह निर्णय अपीलीय है। निर्णय की प्रति तहसीलदार तारानगर को राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद हेतु भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 17.02.2025 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(राजेन्द्र कुमार आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरू)

उपखण्ड अधिकारी
तारानगर चूरू